



MOHAN LAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

जीवन प्रमाण पत्र / LIVE CERTIFICATE

(पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनभोगी डा./श्रीमती/श्री.....को जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या PPO No..... का धारक है, आज देखा है और वह जीवित है।

स्थान : उदयपुर  
दिनांक:

**हस्ताक्षर**

प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम  
(राजपत्रित अधिकारी / विश्वविद्यालय  
शिक्षक / प्रशासनिक अधिकारी) सील

मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैं जून/दिसम्बर 20.....को समाप्त हुई छमाही के दौरान किसी भी विश्वविद्यालय या किसी स्थानीय निधि के किसी विभाग/कार्यालय कम्पनी निगम स्वायत्तशासी निकाय अथवा सोसायटी में किसी भी रूप में कार्यरत नहीं रहा हूँ/रही हूँ।

मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैं जून/दिसम्बर 20.....की छमाही अथवा.....नहींों में उपर्युक्त छमाही में पछा है कार्यालय में जो .....सरकार का एक भाग है/द्वारा वित्त घोषित के दौरान किसी भी विश्वविद्यालय या किसी स्थानीय निधि के किसी विभाग/कार्यालय कम्पनी निगम स्वायत्तशासी निकाय अथवा सोसायटी में किसी भी रूप में कार्यरत नहीं रहा हूँ/रही हूँ।

स्थान : उदयपुर  
दिनांक:

**हस्ताक्षर**

पेंशन भोगी का नाम.....  
(पी.पी.ओ. न.....  
पेन नम्बर.....  
स्थानीय पता.....  
.....  
.....  
मो.नं.

- नोट: जो संबंधित नहीं हो उसे स्पष्टतया काटे।
- पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले (If spouse is not alive) वर्ष में दो बार जनवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करें। अन्यथा पेंशन भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- पेंशन भुगतान आदेश की छायाप्रति सत्यापन हेतु साथ में संलग्न करें।